

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, "जल भवन",

बी-ब्लॉक, नेहरु कालोनी, देहरादून

30 जनवरी, 2013 ई०

पत्रांक/5722/वि०अनु०/०२/टैरिफ/2012-13-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश संख्या 118/उन्तीस (1)/2013-(59पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के अनुपालन में उत्तराखण्ड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची में दर्शायी गयी पुनरीक्षित दरें सरकारी गजट में प्रकाशित कर, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करता है।

1. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) पर 15 एम०एम० के संयोजन हेतु-

क्र० सं०	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	₹ 360.00 तक	90.00	95.00	102.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	95.00	102.00	110.00
3.	₹ 2,001.00 से 3,500.00 तक	112.00	120.00	135.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	150.00	164.00	187.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	179.00	187.00	224.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00 तक	209.00	224.00	239.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	224.00	239.00	260.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	239.00	260.00	275.00
9.	₹ 14,001.00 से अधिक	325.00	350.00	375.00

नोट-(1) नगर क्षेत्र में जिन भवनों में अध्यासी द्वारा अलग से संयोजन लिया हुआ है किन्तु उनके नाम से वार्षिक मूल्यांकन अंकित नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं से ₹ 360.00 तक के लिये निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा।

(2) ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्व, लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(3) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

2. घरेलू न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) (₹ प्रतिमाह) नगरीय एवं ग्रामीण, 15 एम०एम० से अतिरिक्त मीटर साईज के कनेक्शन हेतु :-

क्र० सं०	मीटर साईज (एम०एम०)	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	20	380.00	450.00	520.00
2.	25	600.00	750.00	900.00

टिप्पणी-

- (क) घरेलू उपयोग के लिये 25 एम0एम0 फेरुल साईज से ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद्/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कालोनी एवं सरकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम0एम0 व्यास से अधिक के वर्तमान जल संयोजनों के लिये दरें, अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित की जायेंगी। अघरेलू की अन्य दरें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी।
- (ख) ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्व, लोहेड एवं हाईहेड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (ग) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।
3. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह जहां भवन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू जलापूर्ति-

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहेड	हाईहेड
1.	एक टॉटीयुक्त जल संयोजन	55.00	60.00	67.00
2.	दो टॉटीयुक्त जल संयोजन	67.00	75.00	90.00
3.	तीन टॉटीयुक्त जल संयोजन	90.00	112.00	135.00
4.	चार टॉटीयुक्त या उससे अधिक	112.00	135.00	150.00

नोट-उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

4. जल मूल्य दरें (अघरेलू मीटरयुक्त संयोजन) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)-

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहेड	हाईहेड
1	2	3	4	5
1. नगरपालिका परिषद् क्षेत्र-				
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	12.50	15.60	18.75
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	11.00	12.50	16.50
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/ छावनी परिषद्	10.50	12.00	16.50
	2. नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि० बहुउद्देशीय	10.50	10.50	16.50
	3. ग्रामीण क्षेत्र	10.50	10.50	16.50

नोट-(1) जलमूल्य बिल के निर्गम तिथि के 30 दिवस के अन्तर्गत भुगतान करने पर जलमूल्य धनराशि के 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल चालू वर्ष की मांग पर अनुमन्य होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

5. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ (15 एम0एम0 मीटर अधरेलू जलापूर्ति हेतु)–

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईहैड
1. नगरपालिका परिषद क्षेत्र–				
(क)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	415.00	550.00	700.00
(ख)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	380.00	450.00	520.00
(ग)	अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद	375.00	425.00	485.00
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्युनि० बहुउद्देशीय	235.00	315.00	350.00
3.	ग्रामीण क्षेत्र	175.00	195.00	235.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 10 किलोलीटर तक खपत के लिये है।

- (2) न्यूनतम प्रभार पर छूट देय नहीं होगी अर्थात् 10,000 लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (3) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लाण्ट, गैराज सर्विस, स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।
- (4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (5) ऐसे स्थान जहां गुरुत्व लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जाएगा।
- (6) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

6. जलमूल्य दरें (मीटरयुक्त घरेलू संयोजन हेतु) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईहैड
1. घरेलू दरें, मीटर युक्त (दर ₹ प्रति कि०ली०)				
(क)	नगर क्षेत्र	4.00	5.50	6.25
(ख)	ग्रामीण क्षेत्र	3.10	4.70	6.25

नोट–(1) निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट वर्ष की चालू मांग पर देय होगी।

- (2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (अ) घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज) प्रतिमाह प्रति संयोजन—

क्र० सं०	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर
1.	₹ 360.00 तक	12.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	18.00
3.	₹ 2,001 से 3500.00 तक	27.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	30.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	35.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00	40.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	45.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	50.00
9.	₹ 14,001.00 से ऊपर	60.00

नोट—(1) उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (ब) अघरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के सीवर उपभोक्ताओं के लिये प्रतिसीट प्रतिमाह सीवर शीट चार्ज—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	अघरेलू श्रेणी प्रतिशीट प्रतिमाह	27.00

नोट—उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

8. विकास शुल्क (₹ में)—

घरेलू/अघरेलू जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था पर पूजिगत व्यय के लिये विकास शुल्क (प्लॉट एरिया पर) ₹ में निम्नानुसार होगा :-

परिक्षेत्र	विकास शुल्क (जलापूर्ति व्यवस्था)					
	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00
विकास शुल्क (सीवर व्यवस्था)						
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00

नोट—(1) न्यूनतम प्रभार 100 वर्गमीटर प्लॉट एरिया के लिये निर्धारित है किन्तु जल/सीवर संयोजन के आवेदन पर निम्न आय वर्ग वाले जिनका प्लॉट एरिया 100 वर्गमीटर से कम है, ऐसे आवेदकों से वास्तविक प्लॉट एरिया पर न्यूनतम प्रभार के स्थान पर प्रतिवर्गमीटर हेतु निर्धारित दर से विकास शुल्क लिया जायेगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

9. मीटर किराये की दरें प्रतिमाह (₹ में)—

क्रमांक	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर
1.	15	7.50
2.	20	9.00
3.	25	12.00
4.	32	13.00
5.	40	15.00
6.	50	22.00
7.	80	30.00
8.	100	45.00
9.	150 और उससे अधिक	60.00

नोट—उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

10. औद्योगिक, व्यावसायिक, भवन निर्माण आदि हेतु न्यूनतम दरें न्यूनतम प्रभार (अधरेलू) ₹ प्रतिमाह—

क्र० सं०	मीटर साईज (एम0 एम0)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक			अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान			अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान			म्यूनिसिपल बहुउद्देशीय			छावनी परिषद		
		गुरुत्व	लोहेड	हाई हेड	गुरुत्व	लोहेड	हाई हेड	गुरुत्व	लोहेड	हाई हेड	गुरुत्व	लोहेड	हाई हेड	गुरुत्व	लोहेड	हाई हेड
1.	20	1047	1196	1346	1047	1196	1346	523	598	673	523	598	673	523	598	673
2.	25	2243	2542	2691	2243	2542	2691	1121	1271	1346	1121	1271	1346	1121	1271	1346
3.	50	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934
4.	80	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027
5.	100	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764
6.	150	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010

टिप्पणी: (1) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिये—

- (क) ₹ 45.00 प्रतिवर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर अथवा जहां नक्शा नहीं पारित हो, वहां भू-खण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक मुश्त।
- (ख) निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के डेढ़ वर्ष के पश्चात् जल उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा। डेढ़ वर्ष में निर्माण कार्य पूरा न होने पर सम्पत्ति के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रिम जलमूल्य का समायोजन किया जायेगा परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपयुक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो शेष धनराशि वापस नहीं की जायेगी। इस धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

- (2) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लॉन्ट, गैराज सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।
- (3) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (4) निर्माण हेतु 25 एम0एम0 से ऊपर के जल संयोजन नहीं दिये जायेंगे।
- (5) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

11. विलम्ब शुल्क—

उत्तराखण्ड जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था के स्थान पर अब "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा :-

- (1) न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (2) देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिये 5.00 प्रतिशत मासिक दर से "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा।

12. सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्ज)—

- (1) प्रति परिवार प्रतिमाह ₹ 10.00।
- (2) परिवार का अर्थ एक चूल्हे पर बने खाने से है।
- (3) निर्धारित समय अवधि के अन्दर बीजक का भुगतान करने पर ₹ 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति परिवार प्रतिमाह छूट देय होगी।

13. विविध शुल्क—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	जल संयोजन प्रार्थना-पत्र शुल्क	25.00
2.	जल संयोजन विच्छेदन शुल्क	500.00
3.	जल संयोजन पुनर्संयोजन शुल्क	500.00
4.	सीवर संयोजन शुल्क (प्रति संयोजन)	25.00
5.	सार्वजनिक मार्ग पर निर्मित होने वाले मेनहॉल बोरिंग शुल्क	250.00
6.	मेन हॉल बोरिंग शुल्क	100.00
7.	मीटर टेस्टिंग शुल्क	
	(अ) 15 एम0एम0 से 25 एम0एम0	50.00
	(ब) 50 एम0एम0 से 150 एम0एम0	100.00

नोट—(1) अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक, बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विविध शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

- (2) एक जल संयोजन के लिये जलमूल्य की दरों पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ, दिनांक 01.01.2013

(7)

से उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशनरों को प्रचलित टैरिफ पर अनुमन्य होगा।

- (3) उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जिन दरों को पुनरीक्षित या समाप्त नहीं किया गया है, वह पूर्व प्रभावी टैरिफ की व्यवस्थानुसार यथावत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ प्रभावी रहेंगी।
- (4) राजपत्र दिनांक 31-12-2005, भाग 1-क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।
- (5) सभी श्रेणी की दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि ठीक एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगी अर्थात् आगामी वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को होगी।

डी0 डी0 डिमरी,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 02-02-2013, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 पेय जल/131-20-02-2013-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।